क्रम संख्या– 82

पंजीकृत संख्या–यू.ए. / डी.ओ. / डी.डी.एन.–30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 01 अप्रैल, 2013 ई0

चैत्र 11, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 141 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2013

देहरादून, 01 अप्रैल, 2013

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2013 को दिनांक 28 मार्च, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तंराचल अधिनियम संख्या 17, सन 2013 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा

(उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2013

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 17 वर्ष 2013}

अनुक्रमणिका

धाराएं	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	2	3
	अध्याय–एक	
	प्रारम्भिकी	
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	
2.	परिभाषाएँ	
	अध्याय–दो	
	जीव अनाशित पदार्थ के प्रयोग पर प्रतिबन्ध अथवा प्रतिषेध	
3.	जीव अनाशित पदार्थ से कतिपय वस्तुओं के निर्माण के प्रयोग पर प्रतिबन्ध अथवा प्रतिषेध	
4.	सार्वजनिक नालियों, मल नालियों और जल निकाय में जीव अनाशित कूड़ा–कचरा फेंकने पर प्रतिबन्ध	
5.	जीव अनाशित कूड़ा–कचरा जलाने पर प्रतिबन्ध	
	अध्याय–तीन	
	जीव अनाशित कूडा–कचरे का प्रबन्ध	
6.	जीव अनाशित कूड़ा–कचरा जमा करने के लिए कूड़ादान रखने और स्थानों की व्यवस्था करना	
7.	जीव अनाशित कूड़ा–कचरा आदि को संग्रहित और जमा करने का स्वामियों और अधिभोगियों का कर्तव्य	
8.	जीव अनाशित कूड़ा–कचरा अथवा जीव अनाशित पदार्थ को हटाने की स्थानीय प्राधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी की शक्ति	
	अध्याय–चार	
	शास्ति और दण्ड	
9.	प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति	
10.	शास्ति	
11.	दण्ड	
12.	कम्पनियों द्वारा अपराध	
13.	अपराधों का संक्षिप्त विचारण	
14.	अपराधों का शमन	
	अध्याय–पाँच	
	अपशिष्ट गोदाम का पंजीकरण और श्रमिक की सुरक्षा	
15.	पंजीकरण	
	अध्याय–छः	
	प्रकीर्ण	
16.	राज्य सरकार द्वारा निर्देश	
17.	अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति	
18.	प्रत्यायोजन की शक्ति	
19.	सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण	
20.	नियम बनाने की शक्ति	
21.	शोध	
22.	निरसन और व्यावृत्ति	

उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2013

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 17 वर्ष 2013}

उत्तराखण्ड राज्य में प्लास्टिक तथा अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरे के उपयोग व निस्तारण का विनियमन करने तथा उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित होः–

अध्याय–एक

प्रारम्भिकी

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएँ

2. इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो–

(क) **''जीव नाशित कूड़ा–कचरा''** से जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा–कचरा या अपशिष्ट पदार्थ अभिप्रेत है ;

(ख) **''सक्षम प्राधिकारी''** से इस अधिनियम के किसी उपबन्ध को प्रवृत्त करने के लिए अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी, अधिकारी अथवा व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) **''गृह–पथ''** से ऐसा पथ अथवा भूमि की ऐसी पट्टी अभिप्रेत है, जो नालों के रूप में उपयोग में लाये जाने, अथवा किसी संडास, मूत्रालय, मलकूप अथवा गलीज या दूषित पदार्थ एकत्र करने के किसी पात्र तक पहुंचाने के लिये उपर्युक्त संडास इत्यादि की सफाई करने अथवा वहां से उक्त पदार्थ हटाने के कार्य में नियोजित किसी व्यक्ति के वहां तक पहुंचने के लिए मार्ग देने के लिए निर्मित की गयी हो, अलग कर दी गई हो अथवा उपयोग में लायी जाती हो;

(घ) **''स्थानीय प्राधिकारी''** से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत, छावनी परिषद्, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत अभिप्रेत है;

(ङ) **''बाजार''** के अन्तर्गत ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है, जहां क्रेता और विक्रेता के लिए कोई सामान्य विनियमन न होते हुए भी, चाहे स्थान के मालिक अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाजार के व्यक्ति के व्यापार में अधिकारिता पर नियंत्रण हो अथवा नहीं, लोग मानव उपयोग या उपभोग के लिए मांस, मछली, फल, सब्जी, खाद्य या अन्य कोई खाद्य या अखाद्य सामग्री या माल का प्रदर्शन करते हुए विक्रय या क्रय करने के लिए ऐसे स्थान के स्वामी की सहमति अथवा बिना सहमति के एकत्र होते हैं;

(च) **''जीव अनाशित कूड़ा–कचरा''** से जीव अनाशित पदार्थ से निर्मित अपशिष्ट कूड़ा–कचरा अभिप्रेत है;

(छ) **''जीव अनाशित पदार्थ''** से प्लास्टिक सहित ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है, जो कि माइक्रो आर्गनिज्म, सूर्य रोशनी अथवा अन्य प्राकृतिक कार्रवाई से समाप्त अथवा कम नहीं किया जा सकता है और इसमें इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पॉलिथिन, नाइलॉन या अन्य प्लास्टिक पदार्थ, जैसे पॉली विनाइल क्लोराइड्स (पी.वी.सी.), पॉली प्रोपिलीन और पॉली स्टाइरीन से बने अथवा विनिर्मित सामान सम्मिलित हैं, जो इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं;

(ज) **''अधिभोगी''** के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :–

(एक) कोई व्यक्ति जो स्वामी को, तत्समय उस भूमि या भवन का किराया या किराये के किसी अंश का भुगतान कर रहा है या भुगतान करने का दायी है, जिसके सम्बन्ध में ऐसे किराये का भुगतान किया जाता है या देय है;

(दो) कोई स्वामी, जो अपनी भूमि या भवन का अधिभोग कर रहा हो या उसका अन्यथा उपयोग कर रहा हो;

(तीन) किसी भूमि या भवन का किराया मुक्त किरायेदार; और

(चार) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन के उपयोग या अधिभोग के लिए उसके स्वामी को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का दायी हो;

(झ) **''स्वामी''** में कोई व्यक्ति जो कि तत्समय किसी भूमि अथवा भवन का किराया प्राप्त कर रहा था या प्राप्त करने के लिए अर्ह था, चाहे वह स्वयं के लेखे में अथवा उसके लेखे में और किसी अन्य के लेखे में अथवा अभिकर्ता, न्यासी, अभिभावक अथवा रिसीवर अथवा जो इस प्रकार किराया प्राप्त कर रहा हो अथवा उसे प्राप्त करने के लिए अर्ह हो, मानो भूमि अथवा भवन अथवा उसका कोई भाग किरायेदार को किराये में दिया गया हो; अभिप्रेत है;

(ञ) **''स्थान''** से कोई ऐसी भूमि या भवन या भवन का भाग अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत भवन या भवन के भाग से सम्बद्ध उद्यान, जमीन या वहिर्गृह, यदि कोई हो, भी है;

(ट) **''लोक पर्यवलोकन के लिये खुला स्थान''** के अन्तर्गत कोई निजी स्थान या भवन, स्मारक, बाड़ या छज्जा भी है जो किसी सार्वजनिक स्थान में से या उससे होकर गुजरने वाले किसी व्यक्ति को, दिखाई देता हो;

(ठ) **''विहित''** से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) **''लोक विश्लेषक''** से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (29 का 1986) के उपबन्धों के अधीन राज्य में स्थापित या मान्यता प्राप्त किसी पर्यावर्णिक प्रयोगशाला के सम्बन्ध में सरकारी विश्लेषक के रूप में नियुक्त या मान्यता प्राप्त व्यक्ति अभिप्रेत है; और

(ढ) **''सार्वजनिक स्थान''** से जनता के उपयोग और उपभोग के लिए खुला कोई स्थान अभिप्रेत है, चाहे जनता द्वारा उसका वास्तव में उपयोग या उपभोग किया जाता हो या नहीं और इसके अन्तर्गत सड़क, मार्ग, बाजार, गृह–पथ, या रास्ता चाहे वह आम रास्ता हो या न हो, और कोई अन्य स्थान जहां जनता को प्रवेश की अनुमति हो या आने–जाने का अधिकारी हो या जिस पर उन्हें जाने का अधिकारी हो, भी है।

अध्याय–दो

जीव अनाशित पदार्थ के प्रयोग पर प्रतिबन्ध अथवा प्रतिषेध

जीव अनाशित पदार्थ से कतिपय वस्तुओं के निर्माण के प्रयोग पर प्रतिबन्ध अथवा प्रतिषेध

3\. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना से, उत्तराखण्ड राज्य के भीतर प्लास्टिक अथवा जीव अनाशित पदार्थ, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मानकों से असंगत होते हैं, के उत्पादन, क्रय, विक्रय, भण्डारण, वितरण और उपयोग पर प्रतिबन्ध अथवा प्रतिषेध अधिरोपित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना से पैकिंग के प्रकार, आकार, लेबल और संरचना या उसके प्रयोग और निस्तारण, जिसमें अपघटन व पुनःचक्रण के मानक अथवा मानदण्ड सम्मिलित हैं, के निमित्त निर्माताओं, वितरकों और अन्य व्यक्तियों, जो वस्तुओं का उत्पादन अथवा व्यवहरण करते हैं, पर दायित्व अधिरोपित कर सकेगी।

सार्वजनिक नालियों, मल नालियों और जल निकाय में जीव अनाशित कूड़ा—कचरा फेंकने पर प्रतिबन्ध

4. **(1)** कोई भी व्यक्ति, स्वयं या दूसरे के द्वारा, जानबूझकर या अन्यथा, किसी नाली, वेंटिलेशन शाफ्ट, पाईप व फीटिंग चाहे निजी अथवा सार्वजनिक जल निकास से जुड़ा हो, नहर, तालाब, नाले, नदी में कोई भी जीव अनाशित कूड़ा—कचरा या जीव अनाशित थैले अथवा पात्र में जीव नाशित कूड़ा—कचरा नहीं फेंकेगा या फेंकवायेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या अन्यथा, सिवाय ऐसे प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे सुरक्षा मानकों का पालन किये जाने के पश्चात्, जैसा विहित किया जाय, कोई जीव नाशित या जीव अनाशित कूड़ा—कचरा किसी सार्वजनिक स्थान या किसी लोक पर्यवलोकन के लिए खुले स्थान पर नहीं डालेगा या डालने की अनुज्ञा देगा, जब तक कि —

(क) कूड़ा—कचरा किसी बन्द कूड़ेदान में नहीं डाला जाता है; या

(ख) कूड़े—कचरे के निस्तारण के लिए क्षेत्र पर अधिकारिता प्राप्त करने वाले स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर, कूड़ा—कचरा नहीं डाला जाता है।

जीव अनाशित कूड़ा—कचरा जलाने पर प्रतिबन्ध

5. कोई भी व्यक्ति अनुसूची में उल्लिखित किसी भी पदार्थ से बना जीव अनाशित कूड़ा—कचरा नहीं जलायेगा।

अध्याय — तीन

<u>जीव अनाशित कूड़ा—कचरे का प्रबन्ध</u>

जीव अनाशित कूड़ा—कचरा जमा करने के लिए कूड़ादान रखने और स्थानों की व्यवस्था करना

6. स्थानीय प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह —

(क) उचित और सुविधाजनक स्थान पर सार्वजनिक कूड़ेदान रखेगा या व्यवस्था करेगा, या जीव अनाशित कूड़े—कचरे के लिए अस्थाई जमाव या संग्रहण के लिए स्थान की व्यवस्था करेगा;

(ख) जीव नाशित कूड़े—कचरे के लिए रखे और अनुरक्षित कचरा पेटियों के अलावा जीव अनाशित कूड़े—कचरे को अस्थाई रूप से जमा करने के लिए अलग कचरा पेटियों की व्यवस्था करेगा;

(ग) इस धारा के खण्ड (क) के अधीन उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये या नियत किये गये सभी स्थानों पर कूड़ेदानों और ढेर संग्रह स्थानों की अन्तर्वस्तु को हटाने की व्यवस्था करेगा;

(घ) इस अधिनियम के अन्तर्गत संग्रहीत जीव अनाशित कूड़े—कचरे के पुनः चक्रण का प्रबन्ध करेगा;

(ङ) ऐसे समस्त कूड़दानों के आसमान की ओर मुँह खुलने वाले ऊपरी भाग में बन्द होने की सुविधा होनी चाहिए।

जीव अनाशित कूड़ा—कचरा आदि को संग्रहित और जमा करने का स्वामियों और अधि—भोगियों का कर्तव्य

7. सभी भूमि और भवनों के स्वामियों और अधिभूमियों को निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :—

(क) अपनी—अपनी भूमि और भवनों से जीव अनाशित कूड़ा—कचरा एकत्रित करना या करवाना और स्थानीय प्राधिकारों द्वारा क्षेत्र में जीव अनाशित कूड़ा—कचरा एकत्रित करने या अस्थाई तौर पर जमा कराने हेतु उपलब्ध कराये गये सार्वजनिक कूड़ेदानों या स्थानों में जमा करना या करवाना;

(ख) जीव अनाशित कूड़े–कचरे को जमा करने के लिए रखी गयी और अनुरक्षित से भिन्न ऐसी भूमि या भवनों से सभी जीव अनाशित कूड़ा–कचरे के संग्रहण के लिए स्थानीय प्राधिकारी या उसके अधिकारियों द्वारा विहित प्रकार के और रीति में अलग–अलग कूड़ादानों या कचरा पेटियों की व्यवस्था करना और ऐसे कूड़ादानों और कचरा पेटियों को अच्छी हालत में रखना और उसकी मरम्मत करना।

जीव अनाशित कूड़ा–कचरा अथवा जीव अनाशित पदार्थ को हटाने की स्थानीय प्राधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी की शक्ति

8. स्थानीय प्राधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी लिखित नोटिस द्वारा किसी ऐसी भूमि या भवन के जो जीव अनाशित कूड़े–कचरे अथवा जीव अनाशित पदार्थ का अनाधिकृत ढेर लगाने या जमा करने का स्थान बन गया हो और जिससे किसी न्यूसेन्स का कारण बनने की सम्भावना हो, स्वामी या अधिभोगी या अंशतः स्वामी अथवा स्वामी या अंशतः स्वामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति से, इस प्रकार ढेर लगाये गये या संग्रहीत कूड़े–कचरे को हटाये या हटवाने की अपेक्षा कर सकता है, यदि उसकी राय में जीव अनाशित कूड़े–कचरे के ऐसे ढेर या संग्रहण से जल निकास या मल वहन प्रणाली के अवरूद्ध होने की या जीवन या स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने की सम्भावना हो तो वह ऐसे आवश्यक कदम उठाएगा, जैसा वह आवश्यक समझे तथा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में उपबन्धित रीति से ऐसे व्यक्ति के खर्चे पर उक्त कूड़े–कचरे या पदार्थ का व्ययन करेगा।

अध्याय–चार

<u>शास्ति और दण्ड</u>

प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति

9. **(1)** इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन राज्य सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में जारी अधिसूचना द्वारा सशक्त कोई व्यक्ति किसी स्थान पर, जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसे सहयोगियों सहित सभी समुचित समयों पर प्रवेश का अधिकार रखेगा :–

(क) राज्य सरकार द्वारा उसे दिए गए कृत्यों के पालन के प्रयोजन के लिए;

(ख) इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन दिया गया अथवा किया गया अथवा बनाए गए कोई नोटिस, आदेश अथवा निर्देश का अनुपालन अथवा कोई ऐसे कृत्यों के सम्पादन और उसकी रीति के निर्धारण के प्रयोजन के लिए;

(ग) किसी अभिलेख, पंजिका, दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री के परीक्षण या किसी भवन में, जहाँ इस अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन किसी अपराध के कारित हो चुके होने, हो रहे होने अथवा होने की सम्भावना पर विश्वास करने के लिए उसके पास कारण होते हैं, में तलाशी करने और ऐसे समस्त अभिलेख, पंजिका, दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री अभिग्रहित करने के लिए यदि उसके पास विश्वास करने के लिए कारण है कि

इससे इस अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन कारित किसी दण्डनीय अपराध के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा।

(2) जीव अनाशित पदार्थ या जीव अनाशित कूड़े–कचरे को व्यवहृत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उपधारा (1) के अन्तर्गत कृत्यों के निर्वहन के लिए उक्त उपधारा में सशक्त व्यक्ति को सभी सहायता देगा और ऐसा न करने की दशा में अधिनियम के अधीन दण्डित किया जायेगा।

(3) जहाँ तक दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के क्रम में इस धारा के अधीन तलाशी लेने और अधिग्रहण करने की शक्ति ऐसी होगी, जैसे कि किसी प्राधिकारी द्वारा उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी वारण्ट के अधीन तलाशी लेने और अधिग्रहण करने की शक्ति होती है।

(4) इस धारा के अधीन अधिग्रहीत किसी जीव अनाशित पदार्थ अथवा जीव अनाशित कूड़ा–कचरे का निस्तारण ऐसी रीति से, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किया जायेगा।

शास्ति **10.** जो कोई भी इस अधिनियम के किसी प्राविधान या उसके अधीन बनाए गए नियम, जारी की गयी अधिसूचना या दिए गए, आदेश के उल्लंघन में कोई कृत्य करता है या जनबूझकर लोप करता है या इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को दुष्प्रेरित करता है या उसका भागीदार होता है, तीन माह के साधारण कारावास अथवा जुर्माना, जो आम नागरिकों और फुटकर व्यवसायियों के मामले में ₹ 500, खुदरा दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के मामलों में ₹ 50,000 तथा निर्माताओं और व्यवसायिक फर्मों के मामलों में ₹ 02 लाख तक होगा, से या दोनों से दण्डित होगा।

दण्ड **11.** जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हो चुका हो, अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जाता है तो वह पश्चात्वर्ती अपराध के लिए धारा 10 में प्राविधानित दण्ड के दुगुने दण्ड से दण्डनीय होगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध **12.** **(1)** यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है तो कम्पनी और प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कम्पनी का कारबार चलाने के निमित्त कम्पनी का प्रभारी या उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो अपराध करने का दोषी समझा जायेगा और तद्नुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी और उसे दण्डित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि ऐसा व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं हुआ था या उसने उस अपराध को रोकने के लिए सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरत ली थी तो इस अधिनियम की किसी बात से वह दण्ड का भागी नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित सिद्ध हो जाये कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौनानुकूलता से हुआ है या अपराध उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी और तद्नुसार उसे दण्ड दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए :—

(क) **''कम्पनी''** से कोई नियमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में **''निदेशक''** से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

अपराधों का संक्षिप्त विचारण **13.** इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय समस्त अपराधों का किसी प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 262 से 265 (दोनों सहित) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित, ऐसे विचारण पर लागू होंगे।

अपराधों का शमन **14.** **(1)** इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध, अभियोजन संस्थित किये जाने से पूर्व ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, राज्य सरकार के पक्ष में ऐसी राशि, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, के भुगतान पर शमित किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि किसी एक मामले में ऐसा भुगतान उसके लिए निर्धारित जुर्माने से अधिक नहीं होगा।

(2) जहाँ किसी अपराध का उपरोक्त उपधारा (1) के अन्तर्गत शमन किया जा चुका हो, शमित अपराध के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूद्ध कोई अग्रत्तर कार्यवाही नहीं की जायेगी और अभियुक्त के अभिरक्षा में होने पर उसे उन्मोचित कर दिया जायेगा।

अध्याय—पाँच

अपशिष्ट गोदाम का पंजीकरण और श्रमिक की सुरक्षा

पंजीकरण

15. (1) अपशिष्ट गोदाम का प्रत्येक संचालक सभी प्रकार के जीव अनाशित कूड़ा—कचरे के भण्डारण के लिए इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार सम्बन्धित स्थानीय निकायों, जिनमें ग्राम पंचायतें भी सम्मिलित हैं, से पंजीकरण करायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन पंजीकृत सभी एजेंसियां, जो कि जीव अनाशित कूड़े—कचरे की सफाई और संग्रहण के लिए कार्य करेंगी, प्रत्येक कूडा उठाने वाले और सफाई, संग्रहण, भण्डारण और प्रबन्धन में लगाए गए अन्य श्रमिकों के दायित्वों और पहचान को प्रदर्शित करेगी और उपर्युक्त गतिविधियों में चौदह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सहयोजित नहीं किया जायेगा।

(3) किसी भी पंजीकृत अपशिष्ट गोदाम या श्रमिक, जो किसी भी कूडे—कचरे, चाहे जीव नाशित हो या अन्यथा की सफाई, पृथक्करण या अन्यथा निस्तारण में लगे हों, पर पुनःचक्रण या मिश्रण या बडे भण्डारण या पुनःचक्रण केन्द्र के लिए परिवहन के प्रयोजन संग्रहित कूड़े—कचरे के भण्डारण, संग्रहण, क्रय अथवा विक्रय के लिए किसी भी प्रकार का अभियोग नहीं चलाया जायेगा :

परन्तु यह कि ऐसा सभी प्रकार का परिवहन कार्य बन्द गाड़ी अथवा कन्टेनर में किया जायेगा।

(4) प्रत्येक पंजीकृत गोदाम और स्थानीय निकाय अपने पंजीकृत श्रमिक, जो कि कूडे—कचरे की सफाई और संग्रहण के लिए लगाए गए हैं, को आधुनिक सफाई के उपस्कर, जूते, दस्ताने, एप्रिन और अन्य सुरक्षा के उपाय प्रदान करना सुनिश्चित करेगा।

अध्याय—छः

प्रकीर्ण

राज्य सरकार द्वारा निर्देश

16. राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समय—समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगी, जो उन प्राधिकारियों, जिन्हें ऐसे निर्देश दिए जायं, पर उनके अनुपालन के लिए बाध्यकारी होंगे।

अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति

17. (1) जहाँ ऐसा करना आवश्यक समझा जाय, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची से किसी जीव अनाशित की किसी मद को जोड़ अथवा घटा सकती है और ऐसी अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर अनुसूची तद्नुसार संशोधित समझी जायेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना इसे जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जायेगी।

प्रत्यायोजन की शक्ति

18. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अन्तर्गत उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी भी शक्ति (धारा 20 में नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) को, ऐसे मामलों में जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, उसमें विनिर्दिष्ट अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किया जा सकेगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

19. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी, या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी के किसी अधिकारी या कर्मचारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

20. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किसी भी उपबन्ध को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे।

शोध

21. राज्य सरकार, ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में किन्हीं शोध गतिविधियों का आयोजन कर सकेगी या करा सकेगी।

निरसन और व्यावृत्ति

22. (1) उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 29 वर्ष 2000) (उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में) एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों यह सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

अनुसूची

{धारा 2 का खण्ड (छ) देखिए}

जीव अनाशित कूड़ा–कचरा

(बिना आकार व मोटाई के)

1– पॉलिथीन

2– नायलान

3– पी0वी0सी0

4– पाली–प्रापिलीन

5– पाली–स्टाइरीन

6– पाली–इथाइलीन टेरेफ्थेलेट

7– हाई डेनसिटी पालीथीन

8– लो डेनसिटी पालीथीन; और

9– अन्य धूना और बहु पदार्थ जैसे (ए.बी.एस.–एक्रीलोनीट्राइल बटाडाइन स्टाइरीन, पी.पी.ओ.–पालीथीन ऑक्साइड, पी.सी.–पॉलीकारबोनेट, पी.बी.टी.–पालीबूटाइलीन टेरेफ्थालेट) इत्यादि।

The Uttarakhand Plastic and Other Non Biodegradable Garbage

(Regulation of Use and Disposal) Act, 2013

[Uttarakhand Act No. 17 of 2013]

INDEX

Sections	Particular	Page No.
1	**2**	**3**
	Chapter -I	
	Preliminary	
1.	Short title, extent and commencement	
2.	Definitions	
	Chapter -II	
	Restriction or prohibition on use of non-biodegradable material	
3.	Restriction or prohibition on use of certain things manufactured from non-biodegradable material	
4.	Prohibition on throwing non-biodegradable garbage in public drain, sewers and water bodies	
5.	Rectriction on burn of non-biodegradable	
	Chapter- III	
	Management of non-biodegradable garbage	
6.	Provision for placement of receptacles and places for deposit of non-biodegradable garbage	
7.	Duty of owners and occupiers to collect and deposit non-biodegradable garbage	
8.	Power of local authority or competent authority for removal of non-biodegradable garbage or non-biodegradable material	
	Chapter-IV	
	Penalties and Punishments	
9.	Power of entry and inspection	
10.	Penalties	
11.	Punishment	
12.	Offences by Companies	
13.	Offences to be tried summarily	
14.	Compounding of offences	

Chapter-V

Registration of Waste Godowns and Safety of Labour

15. Registration

Chapter-VI

Miscellaneous

16. Directions by the State Government
17. Power to amend Schedule
18. Power to delegate
19. Protection of action taken in good faith
20. Power to make rules
21. Research
22. Repeal and savings

The Uttarakhand Plastic and Other Non Biodegradable Garbage (Regulation of Use and Disposal) Act, 2013
[Uttarakhand Act No. 17 of 2013]

An
Act

to regulate the use and disposal of plastic and other non-biodegradable garbage in the State of Uttarakhand and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Uttarakhand in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows :-

Chapter -I
Preliminary

Short title, extent and commencement

1. **(1)** This Act may be called the Uttarakhand Plastic and Other Non Biodegradable Garbage (Regulation of Use and Disposal) Act, 2013.

(2) It extends to the whole of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires-

(a) **"bio-degradable garbage"** means the garbage or waste material capable of being destroyed by the action of living beings;

(b) **"Competent authority"** means any authority, officer or person appointed by the State Government, by notification, for enforcement of any of the provisions of this Act;

(c) **"house gully"** means a passage or strip of land constructed, set apart or utilized for the purpose of serving as or carrying a drain or affording access to the latrine, urinal, cesspool or other receptacle for filth or other polluted matter, by persons employed in the clearing thereof or the removal of such matter therefrom;

(d) **"local authority"** means a Municipal Corporation, a Municipal Council, a Nagar Panchayat, a Cantonment Board, a Zila Parishad, a Kshettra Panchayat or a Gram Panchayat constituted under any law for the time being in force;

(e) **"market"** includes any place where persons, assemble for exposing for sale of meat, fish, fruits, vegetables, food or any other articles for human use or consumption with or without the consent of the owner of such p1ace, notwithstanding that there may be no common regulation for the concourse of the buyers and the sellers and whether or not any control is exercised over the business of the person frequenting the market by the owner of the place or by any other persons;

(f) **“non-biodegradable garbage”** means the waste garbage made of non-biodegradable material;

(g) **“non-biodegradable material”** means the material including plastic which cannot be decomposed or degraded by action of micro-organisms, sunlight or other natural actions and includes goods made or manufactured from Polythene, Nylon or other plastic substances such as Poly Vinyl Chlorides (P.V.C.), Poly-Propylene and Poly-styrene specified in the Schedule to this Act;

(h) **"occupier"** includes –

- **(i)** any person who for the time being is paying or is liable to pay to the owner the rent or any portion of the rent of the land building in respect of which such rent is paid or is payable;
- **(ii)** an owner in occupation of or otherwise using his land or building;
- **(iii)** a rent free tenant of any land or building; and
- **(iv)** any person who is liable to pay to the owner damages for the use and occupation of any land or building;

(i) **"owner"** includes a person who for the time being is receiving or is entitled to receive, the rent of any land or building, whether on his own account or on account of himself and others or as an agent, trustee, guardian or receiver for any other or who should so receive the rent or be entitled to receive it, if the land or building or part thereof were let to a tenant;

(j) **"place"** means any land or building or part of a building and includes the garden, ground and out-houses, if any, pertaining to a building or part of a building.

(k) **"place open to public view"** includes any private place or building, monument, fence or balcony visible to a person being in, or passing along any public place;

(l) **"prescribed"** means prescribed by rules made under this Act;

(m) **"Public Analyst"** means the person appointed or recognized to be the Government Analyst, in relation to any environmental laboratory established or recognized in the State, under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986); and

(n) **"public place"** means any place which is open to use and enjoyment of the public whether it is actually used or enjoyed by the public or not and includes a road, street, market, house-gully or way, whether a thoroughfare or not, and landing place to which public are granted access or have a right to resort or over which they have a right to pass.

Chapter -II

Restriction or prohibition on use of non-biodegradable material

Restriction or prohibition on use of certain things manufactured from non-biodegradable material

3. **(1)** The State Government may, by notification, impose restriction or prohibition on the manufacture, sale, purchase, storage, distribution and use of any plastic or other non-biodegradable material within the State of Uttarakhand, which is contrary to the norms as the State Government may, by notification, specify.

(2) The State Government may, by notification, impose requirements on manufacturers, distributors and other persons, who produce or handle commodities, with respect to the type, size, labeling and composition of packaging or with respect to its use and disposal including standards or norms for material degradability and re-cyclability.

Prohibition on throwing non-biodegradable garbage in public drain, sewers and water bodies

4. **(1)** No person, by himself or through another, shall, knowingly or otherwise throw or cause to be thrown in any drain, ventilation shaft, pipe and fittings, connected with the private or public drainage works, canals, ponds, streams or rivers, any non biodegradable garbage or any bio-degradable garbage in a non-biodegradable bag or container.

(2) No person shall, knowingly or otherwise, place or permit to be placed, except in accordance with such procedure and after complying with such safeguards as may be prescribed, any bio-degradable or non-biodegradable garbage in any public place or in a place open to public view, unless-

(a) the garbage is placed in a closed garbage receptacle; or

(b) the garbage is deposited in a location designated, by a local authority having jurisdiction on an area for the disposal of the garbage.

Restriction on burn of non-biodegradable

5. No person shall burn any non-biodegradable garbage containing any material mentioned in the schedule.

Chapter- III

Management of non-biodegradable garbage

Provision for placement of receptacles and places for deposit of non-biodegradable garbage

6. It shall be the duty of the local authority, or any officer authorized by it, to-

(a) place or provide in proper and convenient situation public receptacles, or places for temporary deposit or collection of non-biodegradable garbage;

(b) provide separate dust bins for temporary deposit of non-biodegradable garbage other than those kept and maintained for deposit of bio-degradable garbage;

(c) provide for the removal of contents of receptacles, deposit and of the accumulation at all places provided under clause (a) of this section;

(d) arrange for recycling of the non-biodegradable garbage collected under this Act;

(e) all such receptacles should have the facility to be closed from the upper side facing the sky.

Duty of owners and occupiers to collect and deposit non-biodegradable garbage

7. It shall be the duty of the owners and occupiers of all lands and buildings:-

(a) to collect or to cause to be collected from their respective land and buildings the non-biodegradable garbage and to deposit, or cause to be deposited, in public receptacles or places provided for temporary deposit or collection of the non–biodegradable garbage by the local authority in the area ;

(b) to provide separate receptacles or dust bins, other than those kept and maintained for deposit of bio-degradable garbage, of the type and in the manner prescribed by the local authority or its officers for collection therein of all the non-biodegradable waste from such land and building and to keep such receptacles dust bins in good condition and repair.

Power of local authority or competent authority for removal of non-biodegradable garbage or non-biodegradable material

8. The local authority or the competent authority may, after giving notice in writing to the owner or occupier or part-owner, or person claiming to be the owner or part-owner of any land or building, which has become a place of unauthorized stacking or deposit of non-biodegradable garbage or non-biodegradable material which is likely to occasion a nuisance or is likely to injure the drainage and sewage system or is likely to be dangerous to life and health, remove or cause to be removed the said garbage or material so stacked or collected, or take such steps as it may think necessary, and dispose of the said garbage or material at the cost of such person in the manner as provided under the rules made under this Act.

Chapter -IV

Penalties and Punishments

Power of entry and inspection

9. **(1)** Subject to the provisions of this section, any person empowered by the State Government, by notification in this behalf, shall have a right to enter, at all reasonable times with such assistance as considered necessary, any place-

(a) for the purpose of performing any of the functions entrusted to him by the State Government;

(b) for the purpose of determining whether and if so in what manner, any such functions are to be performed or whether any provisions of this Act or the rules made there under or any notice, order or direction served, made or, given under this Act is being or has been complied with;

(c) for the purpose of examining any record, register, document or any other material object or for conducting a search of any building in which he has reason to believe that an offence under this Act or the rules made thereunder has been or is being or is about to be committed and for seizing such record, register, document or other material object if he has reasons to believe that it may furnish evidence of the commission of an offence punishable under this Act or the rules made thereunder.

(2) Every person handling any non-biodegradable material or non-biodegradable garbage shall be bound to render all assistance to the person empowered under sub-section (1) for carrying out the functions under that sub-section and if he fails to be punished under this Act.

(3) The provisions of Code of Criminal Procedure, 1973, shall, so far as may be, apply to any search or seizure under this section as they apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issued under section 94 of the said Code.

(4) Any non-biodegradable garbage or non-biodegradable material seized under this section shall be disposed of in the manner as the State Government may, by notification, specify.

Penalties

10. Whoever is guilty of any act or intentional omission in contravention of any of the provisions of this Act, or of any rules, notification or order made, issued or given under this Act, or abets or is accessory to the commission of an offence under this Act shall be punishable with three months simple imprisonment or fine, upto ₹ Five hundred in case of individuals and petty retailers, upto ₹ Fifty thousand in case of retail shops and business enterprises and upto ₹ Two lakhs in case of manufacturing and trading firms, or with both.

Punishment **11.** Whoever having been convicted of an offence under this Act is convicted again of any offence under this Act shall be punishable for the latter offence with double the penalty provided in section 10 above.

Offences by Companies **12.** **(1)** If the person committing any offence punishable under this Act is a Company, every person who, at the time of the commission of the offence, was in charge of, and responsible to the Company for the conduct of the business of the Company, as well as the Company shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this Act shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of the offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) above, where an offence under this Act has been committed by a Company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any gross negligence on the part of any Director, Manager, Secretary or other officer of the Company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation- For the purposes of this section-

(a) **"Company"** means any corporate body and includes a firm or other association of individuals; and

(b) **"Director"** in relation to a firm means a partner in the firm.

Offences to be tried summarily **13.** All offences under the Act shall be tried in a summary way by a Judicial Magistrate of the First Class and the provisions of sections 262 to 265 (both inclusive) of Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall, as far as may be, apply to such trials.

Compounding of offences **14.** **(1)** Any offence punishable under this Act may, before the institution of the prosecution, be compounded by such officer as may be authorized by the State Government in this behalf, on payment, for credit to the State Government, of such sum as the State Government may, by notification,

specify :

Provided that such payment in any single case shall not exceed the fine prescribed for the same.

(2) Where any offence has been compounded under sub-section (1) above, no proceeding shall be taken against the offender, in respect of the offence as compounded, and the offender, if in custody, shall be discharged.

Chapter-V

Registration of Waste Godowns and Safety of Labour

Registration **15.** **(1)** Every operator of Waste Godowns will obtain registration from concerning local bodies including Gram Panchayats for storage of any type of non-biodegradable garbage as per provisions of rules made on this behalf.

(2) All agencies entrusted for cleaning and collection of non-biodegradable garbage as registered under sub-section (1) will disclose the identity and responsibilities of each rag picker and other labour engaged in cleaning, collection, storage and management of garbage and no person below the age of fourteen would be engaged in the aforesaid activities.

(3) No registered waste godown or labour involved in cleaning, segregating or otherwise disposing any garbage, whether biodegradable or otherwise will be prosecuted in any way for storing, collecting, sale or purchase of collected garbage for the purpose of recycling or composting or transport to bigger collection and recycling centers :

Provided that all such transportation should be done in closed wagons or containers.

(4) All registered godowns and local bodies will provide modern cleaning equipments, shoes, gloves, aprons and other safety measures to their registered labour involved in cleaning and collection of garbage.

Chapter-VI

Miscellaneous

Directions by the State Government **16.** The State Government may from time to time, issue any such directions for the efficient administration of this Act and it shall be binding on the authorities to which such directions are issued to comply with the same.

Power to **17.** **(1)** Where it is expedient to do so, the State Government may, by notification in the Official Gazette, add to or omit from the Schedule any

amend Schedule item of non-biodegradable waste and thereafter the Schedule shall be deemed to be amended accordingly.

(2) Every notification under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, after it is issued, before the State Legislative Assembly.

Power to delegate

18. The State Government may, by order published in the Official Gazette, direct that any power exercisable by it under this Act (not including the power to make rules under section 20) may also be exercised, in such cases as may be specified in the order, by such officer or authority, as my be specified therein.

Protection of action taken in good faith

19. No suit, prosecution or the legal proceedings shall lie against the State Government or the local authority or the competent authority or any other officer or other employees of the State Government or of the local authority or the competent authority or any other person authorized by the State Government for any thing which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

Power to make rules

20. **(1)** The State Government may make rules for the purposes of carrying out of all or any of the provisions of this Act.

(2) Every rule made by the State Government under this Act shall be laid as soon as may be, after it is made, before the State Legislative Assembly while it is in session, for a total period of fourteen days which may comprise in one session or in two successive sessions.

Research

21. The State Government may conduct or get conducted any research activity that is ancillary to solid waste management.

Repeal and savings

22. **(1)** The Uttar Pradesh Plastic and Other Non-biodegradable (Regulation of Use and Disposal) Act, 2000 (Uttar Pradesh Act No. 29 of 2000) (to the context of the State of Uttarakhand) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Act shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

SCHEDULE

[See clause (g) of section 2]

NON-BIODEGRADABLE GARBAGE

(Irrespective of any size and thickness)

1. Polyethylene
2. Nylon
3. P.V.C.
4. Poly-propylene
5. Poly-styrene
6. PET- Poly-Ethylene terephthalate
7. HDPE-High density Polyethylene
8. LDPE-Low density Polyethylene and
9. Other resins and multi materials like ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PPO (Polyphenylene oxide), PC (Polycarbonate), PBT (Polybutylene terephthalate) etc.